


भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली: // जनवरी, 2012

अधिसूचना

राष्ट्रपति, झारखण्ड सरकार द्वारा दायर सी. ए. सं. 2243/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2010 और 23.02.2011 को दिए गए आदेश के अनुक्रम में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2002 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए झारखण्ड के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री अरूण को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत झारखण्ड संवर्ग आवंटित करते हैं।

  
(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)